

बाबूराव

बनाम

माणिकराव और अन्य

13 मई, 1999

[सुजाता वी. मनोहर और के. वेंकटस्वामी जे.जे.]

संविधान- अनुच्छेद 173, 191- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950- धारा 16 से 20- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951- धारा 33, 36, 100- अयोग्यता- राज्य विधानसभा के लिए चुनाव- एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में उम्मीदवार के नाम की उपस्थिति- क्या निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी एक से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता- नहीं- धारा 17 के अन्तर्गत उठाया जा सकता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950- धारा 17, 18- क्या प्रावधान अनिवार्य है- नहीं।

महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए अपीलार्थी और प्रथम प्रत्यर्थी ने लातूर जिले के निलंगा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया। चूंकि प्रत्यर्थी का नाम निलंगा विधानसभा क्षेत्र और लातूर विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में था, इसलिए

अपीलार्थी ने प्रथम प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी पर आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि प्रत्यर्थी, विधानसभा में सदस्यों के चुनाव से संबंधित कानून के तहत अयोग्य है और प्रथम प्रत्यर्थी निलंगा निर्वाचन क्षेत्र में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अर्थ के अंतर्गत "मामूली तौर से निवासी" नहीं था और इसलिए, उक्त निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं था।

उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका को खारिज करते हुए अपीलार्थी के मामले को खारिज किया कि प्रथम प्रतिवादी निलंगा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है क्योंकि उसका नाम दो निर्वाचन क्षेत्रों में पाया गया था और यह माना की अधिनियम की धारा 17 और 18 अनिवार्य नहीं हैं।

यह याचिका उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि प्रथम प्रत्यर्थी का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में पाए जाने के कारण, वो चुनाव में लड़ने के लिए अयोग्य हो गया था और जब अपीलकर्ता द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आपत्ति उठाई गई थी तब ही उसका नामांकन खारिज कर दिया जाना चाहिए था और उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि 1950 अधिनियम की धारा 17 और 18 आदेशात्मक नहीं हैं।

प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि जब तक प्रथम प्रत्यर्थी का नाम निलंगा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में है और प्रथम प्रत्यर्थी का नामांकन उस आधार पर दाखिल किया गया था, इस कारण लातूर निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावली के उत्पादन का सवाल ही नहीं उठता और निलंगा निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम प्रत्यर्थी का नाम शामिल करने पर आपत्तियां, यदि थीं भी, तो उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में उसका नाम वैध रूप से शामिल होने के पहले उठाई जानी चाहिए थीं। एक बार जब नाम वैध रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली में शामिल हो जाता है, उस निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने पर उसे किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया:-

1.1. अधिनियम, 1950 की धारा 16 में यह कहीं भी नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो वह स्वतः ही किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएगा। यह नोट करना प्रासंगिक है कि 1951 अधिनियम की धारा 2(1)(ड) 'निर्वाचक' शब्द की व्याख्या करते समय अकेले 1950 अधिनियम की धारा 16 के तहत अयोग्यता को संदर्भित करती है और धारा 17 में अयोग्यता के रूप में किसी भी उल्लंघन का वहां उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अधिनियम 1950 की धारा 17

में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में है, तो क्या यह स्वतः ही धारा 16 के तहत अयोग्यता का कारण बनता है? हम ऐसा नहीं सोचते। प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम को निलांगा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल होने से रोकने के लिए धारा 17 के तहत आपत्ति सफलतापूर्वक उठाई जा सकती थी।

1.2. 1950 अधिनियम की धारा 16 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 और 191 के अंतर्गत ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे प्रथम प्रत्यर्थी का नामांकन खारिज कर देना चाहिए। चूंकि प्रत्यर्थी 1 ने लातूर निर्वाचन क्षेत्र में अपने नाम के आधार पर निलांगा निर्वाचन क्षेत्र में अपना नामांकन दाखिल नहीं किया, इसलिए उन्होंने उस निर्वाचन क्षेत्र में अपने नाम के आधार पर ही निलांगा निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन दाखिल किया।

इसलिए धारा 33 (5) का आधार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही 1951 अधिनियम की धारा 100 में निर्धारित किसी भी आधार के तहत प्रथम प्रत्यर्थी के चुनाव को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी ने नीलनाग निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम प्रत्यर्थी का नाम शामिल करने के बारे में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। [561- सी- ई]

शेर सिंह बुद्ध और अन्य, बनाम पंजाब राज्य और अन्य, एआईआर (1965) पंजाब 361 और आनंदराव सीताराम नागमोटे और अन्य बनाम श्री एस.पी. मोहोनी एवं अन्य, आईएलआर (1967) बॉम शृंखला (1358), जगन्नाथ आर. नुनेकर बनाम जेनु गोविंद कदम [1989] supp. 1 scc 55, रोसम्मा पुन्नोस वी. बालकृष्णन नायर, एआईआर (1958) केरल 154, मोहम्मद रफीक बनाम एसएम पाग्निस, जिला न्यायाधीश, भिंड और अन्य, एआईआर (1960) एम.पी. 369 और लीला कृष्ण बनाम मणि राम गोदारा, [1985] supp.1 scc 179 विशिष्ट।

बी. एम. रामास्वामी बनाम बी. एम. कृष्ण मूर्ति और अन्य, [1963] 3 एससीआर 479; हरिप्रसाद मुलशंकर त्रिवेदी बनाम बी. बी. राजू और अन्य, [1974] 3 एस. सी. सी. 415; रंगीलाल चौधरी बनाम ढाऊ साओ और अन्य, [1962] 2 एससीआर 401; रफीक खान और अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण शर्मा, [1997] 2 एस. सी. सी. 228 और इंद्रजीत बरुआ, आदि, आदि बनाम भारत के चुनाव आयुक्त, एआईआर (1984) एस. सी. 1912, को उल्लिखित।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: अपील (सिविल) सं. 622/1998

बॉम्बे उच्च न्यायालय के ई.पी. सं. 4/1995 में 30.4.97 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से ओ. पी. राणा और पी. एन. गुप्ता। प्रत्यर्थी के लिए एस. एम. जाधव।

कोर्ट का फैसला के. वेंकटस्वामी, जे. द्वारा सुनाया गया।

बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) की फाइल पर चुनाव याचिका संख्या 4/95 के खारिज होने से व्यथित होकर, अपीलार्थी. द्वारा यह अपील दायर की गई है। जनवरी, 1995 में महाराष्ट्र राज्य विधानभा के चुनाव हुए। अपीलार्थी और प्रथम प्रत्यर्थी ने अन्य लोगों के साथ 211 निलनेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, लातूर जिले से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया था। अपीलार्थी ने प्रथम प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी पर निर्वाचन अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 2) के समक्ष आपत्तियां उठाईं। अपीलार्थी के अनुसार, चूंकि प्रथम प्रत्यर्थी का नाम 211 निलंगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ 206 लातूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में भी दिखाई दे रहा था, वह दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक नहीं हो सकता और इसलिए, उसका नामांकन खारिज कर दिया जाना चाहिए। पक्षों को सुनने के बाद, निर्वाचन अधिकारी ने दिनांक 19.01.1995 के एक आदेश द्वारा अपीलार्थी की आपत्तियों को खारिज कर दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य के समक्ष दायर एक पुनरीक्षण भी सफल नहीं रहा। निर्वाचन अधिकारी ने 12/3/1996 को 211 निलंगा

निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम की घोषणा करते हुए उस निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम प्रत्यर्थी के चुने जाने की घोषणा की।

अपीलार्थी ने चुनाव याचिका दायर करके प्रथम प्रत्यर्थी के चुनाव को चुनौती दी। चुनाव याचिका में मुख्य चुनौती इस आधार पर थी कि प्रथम प्रत्यर्थी का नाम दो विधानसभा क्षेत्रों में है और इस तरह वह विधानसभा के सदस्य के चुनाव से संबंधित कानून के तहत अयोग्य है। अपीलार्थी द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम प्रत्यर्थी निलंगा निर्वाचन क्षेत्र में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (इसके बाद इसे "1950 अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 20 के अर्थ के तहत "मामूली तौर से निवासी" नहीं था और इसलिए, उक्त निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं था। आगे यह भी तर्क दिया गया कि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उनके द्वारा उठाई गई आपत्ति को गलत तरीके से और अवैध रूप से खारिज कर दिया गया।

प्रथम प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए चुनाव याचिका का विरोध किया। प्रथम प्रत्यर्थी के अनुसार, उसका नाम निलंगा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में है और इसलिए अपीलार्थी के लिए यह आपत्ति उठाना संभव नहीं था कि वह निलंगा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी गाँव का मामूली तौर से निवासी नहीं था। प्रथम प्रत्यर्थी के अनुसार, वह निलंगा निर्वाचन क्षेत्र से

चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं था जैसा कि अपीलार्थी ने तर्क दिया था।

विद्वान न्यायाधीश के समक्ष, पक्षकार इस बात पर सहमत हुए कि दो विवाधको को प्रारंभिक विवाधक के रूप में विरचित किया जा सकता है और उन विवाधको पर कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, निम्नलिखित विवाधक तय किए गए:-

"(1) क्या दो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिवादी संख्या एक के नाम की प्रविष्टियाँ किसी अयोग्यता का कारण बनती हैं और क्या उस आधार पर चुनाव शून्य हो जाता है।?

(2) क्या आवश्यक पक्षकारों के अभाव में याचिका मान्य है?

(3) क्या आदेश?"

विद्वान न्यायाधीश ने अपने समक्ष प्रस्तुत दलीलों के आधार पर प्रथम विवाधक का उत्तर नकारात्मक और दूसरे विवाधक का सकारात्मक उत्तर दिया। तदनुसार, तीसरे विवाधक के तहत उन्होंने चुनाव याचिका को खारिज कर दिया।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ओपी राणा ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय को अपीलार्थी के मामले को स्वीकार करते हुए यह मानना चाहिए था कि प्रथम प्रत्यर्थी का नाम दो निर्वाचन क्षेत्रों, अर्थात् 206 और 211 की निर्वाचक नामावली में आने के कारण वह

निलंगा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के प्रासंगिक प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, उच्च न्यायालय को यह मानना चाहिए था कि प्रथम प्रत्यर्थी चुनाव में चुने जाने के लिए अर्हित नहीं था क्योंकि वह चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं था और इस तरह चुनाव शुरू से ही शून्य था। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क यह था कि प्रथम प्रत्यर्थी का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में पाए जाने के कारण, वो चुनाव में लड़ने के लिए अयोग्य हो गया था और जब अपीलकर्ता द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आपत्ति उठाई गई थी तब उसका नामांकन खारिज कर दिया जाना चाहिए था। उक्त तर्क के समर्थन में, उन्होंने 1951 अधिनियम की धारा 5(c) सपठित धारा 2(1)(ई) को आधार बनाया। साथ ही 1951 अधिनियम में उन्होंने धारा 36(2)(बी) सपठित धारा 33(5) को भी आधार बनाया, और तर्क दिया गया कि प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से 206 लातूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची प्रस्तुत करने में विफलता, जिसमें उसका नाम शामिल है, रिटर्निंग अधिकारी को अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति को स्वीकार करते हुए प्रथम प्रत्यर्थी का नामांकन खारिज कर देना चाहिए था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि 1950 अधिनियम की धारा 17 और 18 आदेशात्मक नहीं हैं बल्कि केवल निदेशात्मक हैं। उन्होंने शेर सिंह

बुध सिंह और अन्य, बनाम पंजाब राज्य और अन्य, एआईआर (1965) पंजाब 361 और आनंदराव सीताराम नागमोटे और अन्य बनाम श्री एस.पी. मोहोनी एवं अन्य, आईएलआर (1967) बॉम शृंखला (1358) पर भरोसा जताया। उन्होंने हमारा ध्यान जगन्नाथ आर. नुनेकर बनाम जेनु गोविंद कदम [1989] supp. 1 scc 55, रोसम्मा पुन्नोस वी. बालकृष्णन नायर, एआईआर (1958) केरल 154, मोहम्मद रफीक बनाम एसएम पाग्निस, जिला न्यायाधीश, भिंड और अन्य, एआईआर (1960) एम.पी। 369 और लीला कृष्ण बनाम मणि राम गोदारा, [1985] supp.1 scc 179 की ओर भी आकर्षित किया।

प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एसएम जाधव ने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलों के जवाब में कहा कि जब तक प्रथम प्रत्यर्थी का नाम निलंगा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में है और प्रथम प्रत्यर्थी का नामांकन उस आधार पर दाखिल किया गया था, इस कारण 206 लातूर निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावली के उत्पादन का सवाल ही नहीं उठता और 1951 अधिनियम की धारा 33(5) का आधार भ्रामक था। प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, 211 निलंगा निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम प्रत्यर्थी का नाम शामिल करने पर आपत्तियां, यदि थीं भी, तो उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में उसका नाम वैध रूप से शामिल होने के पहले उठाई जानी चाहिए थीं। एक बार जब नाम वैध रूप से

प्रकाशित निर्वाचक नामावली में शामिल हो जाता है, उस निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने पर उसे किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके समर्थन में उन्होंने इस न्यायालय के एक फैसले बी.एम. रामास्वामी बनाम बी.एम. कृष्ण मूर्ति और अन्य, [1963] 3 एससीआर 479 पर भरोसा जताया। प्रथम प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क था कि इस न्यायालय ने बार- बार माना है कि चुनाव लड़ने का अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार और किसी चुनाव को चुनौती देने का अधिकार भी 1951 अधिनियम की धारा 100 में उल्लिखित आधारों पर सीमित है और किसी अन्य तरीके से नहीं। इसके समर्थन में, उन्होंने हरिप्रसाद मूलशंकर त्रिवेदी बनाम बी.बी. राजू और अन्य [1974] 3 एससीसी 415 में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा जताया। विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान रंगीलाल चौधरी बनाम धाऊ साओ और अन्य, [1962] 2 एससीआर 401, रफीक खान और अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण शर्मा, [1997] 2 एससीसी 228 और इंद्रजीत बरुआ, आदि आदि बनाम चुनाव आयुक्त भारत, एआईआर (1984) एससी 1912 की ओर भी आकर्षित किया।

हमने प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया। यह विवाद में नहीं है और इसे विवादित नहीं किया जा सकता है कि प्रथम प्रत्यर्थी का नाम 206 लातूर निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के साथ- साथ 211 निलंगा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में भी शामिल है। इसलिए, हम उसी

आधार पर आगे बढ़ते हैं। मुद्दा यह है कि क्या दो निर्वाचन क्षेत्रों में प्रथम प्रत्यर्थी का नाम आना से, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 या 1951 के किसी भी प्रावधान के तहत उसे किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बनाता है। इस समय 1950 और 1951 अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को देखना उपयोगी होगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

16. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निर्हर्ताएँ-

(1) यदि कोई व्यक्ति-

(क) भारत का नागरिक नहीं है; अथवा

(ख) विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है; अथवा

(ग) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित हैं,

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हित हो जाता है, उसका नाम निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जाएगा जिसमें वह दर्ज है:

[परन्तु किसी निर्वाचन- क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निरहता के कारण काटा गया है यदि ऐसी निरहता उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनःस्थापित कर दिया जाएगा।]

17. एक से अधिक निर्वाचन- क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा- एक से अधिक निर्वाचन- क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा।

18. किसी निर्वाचन- क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा- किसी निर्वाचन- क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा।

19. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें- इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के अध्याधीन यह है कि हर व्यक्ति जो-

(क) अहता की तारीख को [अठारह वर्ष] से कम आयु का नहीं है;

तथा

(ख) किसी निर्वाचन- क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, उस निर्वाचन- क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा।]

20. "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ-

[(1) किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण कि वह निर्वाचन- क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है यह न समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन- क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(1 क) अपने मामूली निवास- स्थान में अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा, कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।

(1 ख) संसद् का या किसी राज्य के विधान- मंडल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस निर्वाचन- क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है उसकी बाबत इस कारण कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस निर्वाचन- क्षेत्र से अनुपस्थित रहा है यह न समझा जाएगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस निर्वाचन- क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।]

(2) जो व्यक्ति मानसिक रोग या मनोवैकल्य से पीड़ित व्यक्तियों के रखने और चिकित्सा के लिए पूर्णतः या मुख्यतः पोषित किसी स्थापन में

चिकित्साधीन है या जो किसी स्थान में, कारागार में या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, उसके बारे में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी है।

[(3) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो सेवा अर्हता रखता है, यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन- क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, जिसमें, यदि उसकी ऐसी सेवा अर्हता न होती तो, वह उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता।]

(4) जो कोई व्यक्ति भारत में ऐसा पद धारण किए हुए है जिसे राष्ट्रपति ने, निर्वाचन आयोग के परामर्श से ऐसा पद घोषित कर दिया है जिसे इस उपधारा के उपबन्ध लागू हैं उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन- क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है जिसमें, यदि वह कोई ऐसा पद धारण न किए होता तो वह, उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसके प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, विहित प्ररूप में किए गए और विहित रीति में सत्यापित, इस कथन की बाबत कि [यदि मेरी सेवा अर्हता न होती या मैं किसी ऐसे पद को धारण न किए होता। जैसा उपधारा (4) में निर्दिष्ट है, तो मैं एक विनिर्दिष्ट स्थान में किसी तारीख को मामूली तौर से निवासी

होता, तत्प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में यह 7[स्वीकार किया जाएगा कि वह शुद्ध है]।

(6) यदि ऐसे किसी व्यक्ति की पत्नी, जैसे व्यक्ति के प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, उसके साथ मामूली तौर से निवास करती हो, तो ऐसी पत्नी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए निर्वाचन- क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

[(7) यदि किसी मामले में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर वहां का मामूली तौर से निवासी है तो वह प्रश्न मामले के सब तथ्यों के और ऐसे नियमों के, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस निमित्त बनाए जाएं, प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा।]

(8) उपधाराओं (3) और (5) में "सेवा अर्हता से"-

(क) संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना, अथवा

(ख) ऐसे बल का सदस्य होना, जिसको सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) के उपबंध उपान्तरों सहित या रहित लागू कर दिए गए हैं, अथवा

(ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य होना जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित है, अभिप्रेत है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

2. निर्वचन- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(ङ) निर्वाचक" से किसी निर्वाचन- क्षेत्र के संबंध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम उस निर्वाचन- क्षेत्र के लिए तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है और जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी के अध्यक्ष नहीं है;

5. विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं-

किसी राज्य की विधान सभा में के स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि-

(क)....

(ख).....

(ग) किसी अन्य स्थान की दशा में वह उस राज्य में के किसी सभा निर्वाचन- क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो:

[परन्तु अनुच्छेद 371 के खण्ड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए कोई व्यक्ति तब तक नागालैण्ड की विधान सभा में ट्यून्सांग जिले को आबंटित किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रादेशिक परिषद् का सदस्य न हो।]

32. निर्वाचन अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन-

यदि कोई व्यक्ति ॥ किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए [यथास्थिति संविधान और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ॥ 2 [या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20)] के उपबन्धों के अधीन अर्हित है तो वह उस स्थान को भरने के लिए निर्वाचन अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

33. नामनिर्देशन- पत्र का उपस्थित किया जाना और विधिमान्य नामनिर्देशन के लिए अपेक्षाएं-

.....

(5) जहां कि अभ्यर्थी किसी भिन्न निर्वाचन- क्षेत्र का निर्वाचक है, वहां उस निर्वाचन- क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की या उसके सुसंगत भाग की एक प्रति या ऐसी नामावली में की सुसंगत प्रविष्टियों की एक प्रमाणित प्रति, जब तक कि वह नामनिर्देशन- पत्र के साथ फाइल न कर दी गई हो, संवीक्षा के समय रिटर्निंग आफिसर के समक्ष पेश की जाएगी।

36. नामनिर्देशनों की संवीक्षा-

(1).....

(2) रिटर्निंग आफिसर तब नामनिर्देशन- पत्रों की परीक्षा करेगा और उन सब आक्षेपों का विनिश्चय करेगा जो किसी नामनिर्देशन की बाबत किए जाएं और ऐसी संक्षिप्त जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे किसी नामनिर्देशन को ऐसे आक्षेप पर या स्वप्रेरणा से निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर, अर्थात्:-

[(क) इस आधार पर [कि अभ्यर्थी नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत की गई तारीखट को निम्नलिखित उपबन्धों, अर्थात्:-]

अनुच्छेद 84, 102, 173 और 191 ॥

[इस अधिनियम के भाग 2 और संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धाराओं 4 और 14 ॥ में से जो भी लागू होती हो उसके अधीन उस स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए या तो अर्हित नहीं है या निरर्हित है, अथवा

(ख) इस आधार पर कि धारा 33 या धारा 34 के उपबंधों में से किसी का अनुवर्तन करने में असफलता हुई है, अथवा

(ग) इस आधार पर नामनिर्देशन- पत्र पर अभ्यर्थी का या प्रस्थापक का हस्ताक्षर असली नहीं है,

(3).....

(4) रिटर्निंग आफिसर किसी नामनिर्देशन- पत्र को ऐसी किसी त्रुटि के आधार पर जो सारवान् रूप की नहीं है, प्रतिक्षेपित न करेगा।

(5).....

(6).....

(7) जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में वर्णित निरर्हता के अध्यधीन है, किसी निर्वाचन- क्षेत्र की तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली में की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति इस धारा के प्रयोजनों के लिए इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह व्यक्ति, जो उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट किया गया है, उस निर्वाचन- क्षेत्र के लिए निर्वाचक है।

100. निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आधार-

(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, यह कि यदि [उच्च न्यायालय] की यह राय है कि-

(क) निर्वाचित अभ्यर्थी अपने निर्वाचन की तारीख को स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए संविधान या इस अधिनियम के [या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20)] के अधीन अर्हित नहीं था या निरर्हित कर दिया गया था, अथवा

(ख) निर्वाचित अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा या निर्वाचित अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है, अथवा

(ग) कोई नामनिर्देशन अनुचित रूप से प्रतिक्षेपित किया गया है; अथवा

(घ) जहां तक कि निर्वाचन का परिणाम निर्वाचित अभ्यर्थी से सम्पृक्त है, वहां तक निर्वाचन परिणाम-

(i) किसी नामनिर्देशन के अनुचित प्रतिग्रहण से, अथवा

(ii) ऐसे किसी भ्रष्ट आचरण से, जो निर्वाचित अभ्यर्थी के हित में [उसके निर्वाचन अभिकर्ता से भिन्न अभिकर्ता द्वारा] किया गया है; अथवा

(iii) किसी मत के अनुचित तौर पर लिए जाने के इन्कार करने या प्रतिक्षेपित किए जाने के या ऐसे किसी मत के लिए जाने के, जो शून्य हो, कारण से, अथवा

(iv) संविधान के या अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के उपबंधों के किसी अनुपालन से, तात्त्विक रूप से प्रभावित हुआ है,

तो 1[उच्च न्यायालय] निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की बाबत यह घोषणा करेगा कि वह शून्य है।]

(2) यदि [उच्च न्यायालय] की यह राय है कि निर्वाचित अभ्यर्थी अपने निर्वाचन अभिकर्ता से भिन्न अभिकर्ता द्वारा ॥। किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी रहा है किन्तु 2[उच्च न्यायालय] का यह समाधान हो गया है कि-

(क) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने निर्वाचन में ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया था और हर ऐसा भ्रष्ट आचरण अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के आदेशों के प्रतिकूल था और उसका [सम्मति के बिना] किया गया था,

(ग) अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण किए जाने का निवारण करने के लिए सब युक्तियुक्त उपाय किए थे, तथा

(घ) निर्वाचन अन्य सब बातों में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ताओं में से किसी की तरफ से किसी भी भ्रष्ट आचरण से मुक्त था,

तो 2[उच्च न्यायालय] यह विनिश्चय कर सकेगा कि निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन शून्य नहीं है।

अनुच्छेद 173 - राज्य के विधान- मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता कोई व्यक्ति किसी राज्य में विधान- मंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हत तभी होगा जब-

(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है;

(ख) वह विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का है; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएँ हैं; जो इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं।

अनुच्छेद 191- सदस्यता के लिए निर्हताएँ-

(1) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा-

(क) यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना राज्य के विधान- मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है।

(ख) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है।

(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है।

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है।

(ङ) यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरहित कर दिया जाता है।

[स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए]* कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है।

[(2) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य होने के लिए निरहित होगा, यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरहित हो जाता है।]"

इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम संक्षेप में उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये विचार को प्रस्तुत करेंगे। विद्वान न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति को इस प्रकार निर्धारित किया है:-

"प्रत्यर्थी नंबर 1 के चुनाव पर याचिकाकर्ता की मुख्य आपत्ति यह है कि निर्वाचित अभ्यर्थी यानी प्रत्यर्थी संख्या 1 को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 206 यानी लातूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

संख्या 211 यानी निलंगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक (मतदाता) के रूप में नामांकित किया गया था और याचिकाकर्ता के अनुसार, दो निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यर्थी सं.1 का नाम होना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 के तहत अयोग्यता है। "

विद्वान न्यायाधीश ने 1950 अधिनियम की धारा 14 से 25 के प्रावधानों पर ध्यान देने के बाद और 1951 अधिनियम के अध्याय II और III में प्रावधानों पर भी ध्यान देने के बाद इस प्रकार निर्णय लिया:-

" याचिकाकर्ता का मुख्य आधार यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में नाम होने के कारण वह चुनाव लड़ने और राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए अयोग्य है। इस आधार पर अयोग्यता, कानून के उपरोक्त किसी भी प्रावधान में नहीं पायी जाती। वर्तमान मामले में यह विवाद में नहीं है कि नामांकन पत्रों की जांच के समय, वर्तमान याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ इसी तरह की आपत्तियां उठाई थीं और यह भी निर्विवाद है कि निर्वाचन अधिकारी- प्रत्यर्थी नं. 2 ने आदेश दिनांक 19.1.1995 द्वारा सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता ने

इस मामले को पुनरीक्षण में महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास उठाया, जिसे 23.1.1995 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।"

अपील के तहत फैसले के क्रम में विद्वान न्यायाधीश ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 और 191 पर गौर करने के बाद निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"यह भी ध्यान देने योग्य है की किसी उम्मीदवार का नामांकन अधिनियम, 1950 की धारा 16 में उल्लिखित अयोग्यता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 और 191 के तहत उल्लिखित अयोग्यता के आधार पर खारिज किया जा सकता है। अधिनियम 1951 की धारा 100 में चुनावों को शून्य घोषित करने के आधारों का उल्लेख किया गया है और यदि निर्वाचित अभ्यर्थी चुनाव की तारीख पर सीट भरने के लिए योग्य नहीं था या अयोग्य घोषित किया गया था, तो चुनाव को शून्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा, नामांकन की अनुचित अस्वीकृति भी चुनाव को शून्य घोषित करने का एक आधार है। याचिकाकर्ता ने चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए ऐसे किसी भी आधार का अभिकथन नहीं किया है। साथ ही इस समय यह भी

कहा जा सकता है कि न्यायालय इस सवाल पर नहीं जा सकता कि क्या कुछ व्यक्तियों के नाम अवैध रूप से दर्ज किए गए थे जैसा कि एस.के. चौधरी बनाम बैद्यनाथ, एआईआर (1973) एससी 717 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था।"

अंततः विद्वान न्यायाधीश निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे:-

"बेशक, याचिकाकर्ता ने इस निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम को शामिल करने के बारे में चुनावी पंजीकरण अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति नहीं उठाई है। 1951 के अधिनियम की धारा 100 निर्वाचित अभ्यर्थी के चुनाव को चुनौती देने के आधार का खुलासा करती है और यह याचिका उक्त धारा में उल्लिखित किसी भी आधार का खुलासा करने में विफल रही है। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह नहीं माना जा सकता है कि दो विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम की उपस्थिति किसी भी अयोग्यता को दर्शाती है और इस तरह, प्रत्यर्थी संख्या 1 के चुनाव को इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, विवादक संख्या 1 का उत्तर नकारात्मक में दिया जाता है।"

प्रासंगिक प्रावधानों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर, जैसा कि ऊपर दिया गया है, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज करने में सही किया था कि प्रथम प्रत्यर्थी को निलंगा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था क्योंकि उसका नाम दो निर्वाचन क्षेत्रों में पाया गया था। हम सामान्यतः उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत हैं। हालाँकि, हम उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं कि अधिनियम, 1950 की धारा 17 और 18 आदेशात्मक नहीं हैं। 1950 अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वे अनिवार्य हैं। उदाहरण के लिए, निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने पर आपत्ति करना।

अधिनियम, 1950 की धारा 16 में यह कहीं भी नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो वह स्वतः ही किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएगा। यह नोट करना प्रासंगिक है कि 1951 अधिनियम की धारा 2(1) (ड) 'निर्वाचक' शब्द की व्याख्या करते समय अकेले 1950 अधिनियम की धारा 16 के तहत अयोग्यता को संदर्भित करती है और धारा 17 में अयोग्यता के रूप में किसी भी उल्लंघन का वहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अधिनियम 1950 की धारा 17 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा। लेकिन

यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में है, तो क्या यह स्वतः ही धारा 16 के तहत अयोग्यता का कारण बनता है? हम ऐसा नहीं सोचते। प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम को नितांगा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल होने से रोकने के लिए धारा 17 के तहत आपत्ति सफलतापूर्वक उठाई जा सकती थी।

इसी तरह, अन्य धाराओं को पढ़ने से भी अपीलार्थी को अपना तर्क कायम रखने में मदद नहीं मिलती है। 1950 अधिनियम की धारा 16 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 और 191 को पढ़ने के बाद हमें ऐसा कोई आधार नहीं मिला जिससे प्रथम प्रत्यर्थी का नामांकन खारिज कर देना चाहिए। 1951 अधिनियम की धारा 33 (5) पर आधारित तर्क गलत है। चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 206 लातूर निर्वाचन क्षेत्र में अपने नाम के होने के आधार पर 211 निलंगा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। दूसरी ओर, उन्होंने 211 निलंगा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल किया, इस स्थिति के अनुसार, धारा 33 (5) पर आधारित विवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और न्यायिक दृष्टांतों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। साथ ही 1951 अधिनियम की धारा 100 को पढ़ने के बाद में हम उसमें निर्धारित किसी भी आधार के तहत प्रथम प्रत्यर्थी के चुनाव को शून्य घोषित करने में असमर्थ हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी ने 211 नीलनाग निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम प्रत्यर्थी का नाम शामिल करने के बारे में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के

समक्ष कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय को ध्यान से पढ़ने के बाद, हम पाते हैं कि इस मामले के तथ्यों पर वे लागू नहीं होते हैं।

इन परिस्थितियों में, हमें चुनाव याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के फैसले में कोई कमी नहीं है। अपील विफल होती है तदनुसार खारिज की जाती है। खर्चा(कोस्ट) के लिए कोई ऑर्डर नहीं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी चार्विन बागमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।